राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रस्तावना

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग अन्य विभागों की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से नया संगठन है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी संगठनों यथा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ एवं अन्य मानव अधिकार संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में महिलाओं एवं बच्चें को विशेष अधिकार एवं इनकी मूलभू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष बल दिया जाता रहा है। इसी अनुसरण में राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। इसी से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा भी राज्य में वर्ष 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग स्वतंत्र रूप से गठित किया गया।

किसी भी समाज के स्वस्थ एवं संतुलित विकास हेतु महिलाओं एवं बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम बाल विकास परियोजना वर्ष 1975 में बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में प्रारम्भ की गई। इस कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर भारत सरकार ने विव बैंक की मदद से यह कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया एवं इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारत सरकार के निर्णय की अनुपालना में शत–प्रतिशत केन्द्रीय पोषित इस योजना को राज्य के सभी 237 विकास खंडों एवं 20 लाख की आबादी वाले शहरी खंडों में लागू किया गया है। इन 257 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन 35710 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाएगा। इनके माध्यम से आगामी वर्षों के दौरान लगभग 21.00 लाख से भी अधिक 0–6 आयु वर्ग के बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जा सकेगा।

इसी विभाग के अधीन संचालित महिला विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें स्व–रोजगार हेतु प्रेरित कर आर्थिक रूप से तथा समाजिक कुरीतियों का निवारण कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास प्रशिक्षण, जनजागरण एवं प्रशासन में उनकी भागीदारिता बढाकर किया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 8 मार्च, 2000 को राज्य की प्रथम महिला नीति जारी की गई है।

विभागीय दायित्व की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर निदेशालय एवं प्रशासनिक विभाग, जिला स्तर पर उपनिदेशक (ICDS) एवं पदेन परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा प्रचेता एवं ग्राम सतर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं साथिन के रूप में संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया गया है।

विभागीय उद्देश्य –

1. 0–6 आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सााजिक विकास के लिए आधार रखना।
3. बाल मृत्यु, मातृ मृत्यु, रूग्णता, कुपोष्झण, एनीमिया तथा बीच में पढाई छोड़ने वाल`बच्चों की दर में कमी लाना।
4. विभिन्न विभागों की योजनाओं में प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

5. पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा एवं स्व–रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना ताकि महिलाऐं बच्चों परिवार के स्वास्थ्य, देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों एवं महिलाओं को निम्नानुसार सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है :—

क्र.सं.	सेवा	पात्र का विवरण
1.	पूरक पोषाहार	6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं दूध पिलाती माताएं
2.	शाला पूर्व शिक्षा	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे
3.	पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा	15—45 वर्ष की सभी महिलाएं
4.	टीकाकरण	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं
5.	स्वास्थ्य जॉच	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाएॅं
6.	संदर्भ सेवाएं	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं

इसी प्रकार महिलाओं के विकास हेतु भी निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :—

1. महिला जागरूकता कार्यक्रम
2. इंदिरा महिला योजना
3. महिलाओं की आयुवृद्धि एवं रोजगार प्रशिक्षण की योजना, नौराड़
4. आर्थिक स्वावलम्बन हेतु स्वयं सहायता समूह योजना
5. महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न से बचाने हेतु जिला महिला सहायता समिति
6. किशोर बालिका योजना
7. गैर परम्परागत क्षेत्रों में भागीदारिता हेतु महिला राजगीर योजना आदि।
8. महिला संदर्भ केन्द्र की स्थापना
9. राज्य महिला आयोग की स्थापना

नागरिकों के अधिकार —

1. विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना।
2. क्षेत्र विशेष में आयोजित होने वाली विशिष्ट गतिविधियों, बैठकों, निर्णयों वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना।
3. स्वच्छ, पारदर्शी एवं जवाबदेही रूप में कार्यक्रमों की क्रियान्विति के बारे में जानने का अधिकार।

विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी, सुझाव लेने सूचना देने एवं शिकायत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी

स्तर	प्राधिकृत अधिकारी	चयन प्रक्रिया	उत्तरदायित्व
जिला स्तर	उपनिदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक (ICDS)	राज्य प्रशासनिक सेवा / प्रतिनियुक्ति NGO/ राजकीय विभाग	जिला स्तर पर विभागीय निर्णयों / आदेशों की अनुपालना, कार्यक्रमों का मौके पर निरीक्षण एवं मासिक सूचनाओं का संप्रेषण
खण्ड स्तर	बा.वि.प. अधिकारी प्रचेता DWDA	प्रतिनियुक्ति / विशेष भर्ती / विभागीय	खण्ड स्तर पर विभागीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा पंचायत समिति से समन्वयन स्थापित करना, राज्य एवं जिला स्तर से

			प्राप्त निर्देशों / आदेशों की क्रियान्विति, मासिक प्रगति संकलन एवं संप्रेषण
ग्राम स्तर	पर्यवेक्षण (निश्चित ग्रामों पर)	सीधी भर्ती अथवा आं.बा0 कार्यकता से नियुक्ति	माह में एक बार अधीनस्थ प्रत्येक आं.बा. केन्द्र का निरीक्षण कर कार्यकर्ता का मार्गदर्शन, समाज से जुड़ाव, विभागीय निर्देशों / कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार, केन्द्र पर रिकॉर्ड का संधारण एवं मासिक प्रगति का केन्द्रवार संकलन एवं परियोजना को संप्रेषण
	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक ग्राम में	ग्राम सभा द्वारा स्थानीय महिला, विवाहित, न्यूनतम 8वीं पास, 21–45 वर्ष की आयु	आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन, ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह, पोषाहार सामग्री का लेखा–जोखा, परिवार संपर्क मासिक प्रगति का विवरण भिजवाना आदि
	साथिन	ग्राम सहमति से	महिलाओं की जाजम आयोजित कर महिला विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी देना, कुरीतियों, अन्धविश्वासों को दूर करने हेतु महिलाओं को प्रेरित करना महिला समूजाहें का गठन आदि
	समूह नेता	स्वयं सहायता समूहों द्वारा सर्वसम्मति से चुनाव	महिला समूहों का गठन, बचत साख गतिविधियों का क्रियान्वयन

राज्य स्तर पर विभाग की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग, 2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर से प्राप्त की जा सकती है।

विभाग सेवाओं का विवरण

समेकित बाल विकास सेवा योजना –

– राज्य के सभी 32 जिलों की 237 पंचायत समितियों एवं 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू।

– राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित बाल विकास कार्यक्रमों में समन्वय हेतु राज्य कार्य योजना ''संकल्प'' 1995 में निर्धारित।

– कार्यक्रम के संचालन में पंचायत राज संस्थाओं की सक्रिय एवं व्यापक भागीदारिता।

1. आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना (1000 या कम आबादी वाले ग्राम)

अ. औसतन एक हजार की आबादी पर एक केन्द्र

ब. अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में

स. आर्थिक / सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में

उ. जानजाति क्षेत्रों में 700 की आबादी पर एक केन्द्र

य. अत्यधिक रेगिस्तानी, पहाड़ी, दूरस्थ क्षेत्रों में 300 की आबादी पर (1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में केन्द्रों का निर्धारण)

क्र.सं.	केन्द संख्या	जनसंख्या आवश्यकता	
		ग्रामीण / शहरी क्षेत्र	जनजाति क्षेत्र
1.	1	1—1500	1—700
2.	2	1501—2500	701—1500
3.	3	2501—3500	1501—2500
4.	4	3501—4500	2501—3500

आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यविधि निम्नानुसार है :—

ग्रीष्म ऋतु 1 अप्रेल से 30 सितम्बर — प्रातः 800 से दोपहर 12.00 तक

शरद ऋतु 1 अक्टूबर से 31 मार्च — प्रातः 9.00 से दोपहर 1.00 तक

आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह में एक दिन स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है उस दिन कार्य समय निर्धारित 4.00 घण्टे के स्थान पर 6.00 घण्टे होगा।

2. पूरक पोषाहार वितरण मानदण्ड

अ. प्रोटीन ऊर्जा वितरण

क्र.सं.	लाभार्थी	मात्रा प्रतिदिन प्रति लाभार्थी	
		कैलोरी	प्रोटीन ग्राम
1.	6 माह से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	300	10—12
2.	6 माह से 6 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चे	600	18—20
3.	गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	500	20—25

आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित होने वाले लाभार्थी को निम्नानुसार पोषाहार तैयार कर बांटा जाता है :—

ब. सामग्री वितरण मानदण्ड

क्र.सं.	लाभार्थी	सामग्री का विवरण		
		केयर	विश्व खाद्य कार्यक्रम	स्थानीय खाद्य सामग्री
1.	6 माह से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	65 ग्राम CSB 8 ग्राम एस.ऑयल	80 ग्राम इंडिया मिक्स	95 पैसे
2.	6 माह से 6 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चे	130 ग्राम CSB 16 ग्राम एस. ऑयल	160 ग्राम इंडिया मिक्स	135 पैसे
3.	गर्भवती एवं दूध पिलाती महिलाएं	130 ग्राम CSB 16 ग्राम एस. ऑयल	160 ग्राम इंडिया मिक्स	115 पैसे
4.	किशोरी बालिका	130 ग्राम CSB 16 ग्राम एस. ऑयल	160 ग्राम इंडिया मिक्स	115 पैसे

स.	पोषाहार परिवहन एवं अन्य मानदण्ड

क्र.सं.	विवरण	विश्व खाद्य कार्यक्रम / केयर
1.	परिवहन परियोजना तक	04 पैसे
2.	परिवहन आंगनबाड़ी केन्द्र तक	03 पैसे
3.	ईधन	05 पैसे
4.	गुड़ / नमक	12 पैसे
5.	भण्डारण	01 पैसे
	योगः	**25 पैसे**

नोट :

1. उपरोक्त दर प्रतिदिन प्रति लाभान्वित है।
2. पोषाहार सप्ताह में 6 दिवस बांटा जाता है।
3. औसतन प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 60 बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहार हेतु नामांकित किया जाता है।

लाभांवित की चयन प्रक्रिया –

– उम्र के अनुपात में अपेक्षाकृत कम वजन वाले 0–6 वर्ष के बच्चे।

– अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के बच्चे।

– भूमिहीन एवं श्रमिक परिवारों के बच्चे एवं महिलाएं।

– गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के बच्चे एवं महिलाएं।

– संकटग्रस्त, नशे के आदि, बन्धुआ श्रमिक के परिवारों के बच्चे एवं महिलाएं तथा बाल श्रमिक, विकलांग एवं बन्धुआ बच्चे।

3. शाला पूर्व शिक्षा

– किसी भी परिवार के बच्चे का पंजीकरण

– 3–6 वर्ष की आयु तक के बच्चे पात्र

– बच्चों को कविता, कहानियों व खिलौना, चित्रों आदि से जानकारी देना।

4. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा

– 15–45 वर्ष की सभी महिलाओं को प्रदान की जाती है।

– महिलाओं एवं किशोरियों को स्वयं की एवं परिवार की स्वच्छता, खाना पकाने की विधि, पोषक तत्वों की जानकारी एवं बीमारियों की पहचान व उपचार की प्रक्रिया समझाई जाती है।

5. टीकाकरण

– यह कार्य ANM द्वारा केन्द्र पर किया जाता है।

– बच्चों की टी.बी., गलघोंटू, काली खांसी, पोलियों व खसरे के टीके लगाये जाते हैं।

– गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके।

6. स्वास्थ्य जांच

– केन्द्र पर पंजीकृत सभी लाभार्थी पात्र।

– जांच चिकित्सा अधिकारी / स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा की जाती है।

– बच्चों को विटामिन ए की खुराक, गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड, सुरक्षित प्रसव किट, दवाओं एवं ओ.आर.एस. पैकेट का वितरण।

– बच्चों का वजन लेकर वृद्धि निर्धारण चार्ट का संधारण।

7. संदर्भ सेवाएं

– लाभार्थी के गंभीर पाये जाने पर चिकित्सकीय जांच हेतु परामर्श।

महिला विकास कार्यक्रम

– राज्य के समस्त 32 जिलों में संचालित।

– राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महिला विकास कार्यक्रमों में समन्वय हेतु ''राज्य महिला नीति'' 2000 में निर्धारित।

– कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला महिला विकास अभिकरणों के माध्यम से।

– कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करना।

एकीकृत महिला सशक्तिकरण योजना

– 9 जिलों की 10 पंचायत समितियों में संचालित

– योजना का उद्देश्य समन्वय, जागरूकता एवं आय सृजन

– चयनित खंडों के 120 आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर इंदिरा महिला केन्द्रों की स्थापना।

– प्रत्येक इंदिरा महिला ब्लाक सोसाईटी हेतु 6.10 लाख का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है।

– योजना का विस्तार 10 के अतिरिक्त 17 नई पंचायत समितियों में करना।

– इस वर्ष हेतु 8 पंचायत समितियों का चयन।

सामुहिक विवाहों हेतु अनुदान

– कम से कम 10 जोड़ों के सामुहिक विवाह के आयोजन पर 1000 रू. प्रति जोड़े की दर से अनुदान।

– अनुदान राशि आयोजनाकर्ता को दी जाती है।

– अनुदान की अधिकतम राशि रूपये 50,000

– अनुदान हेतु आवेदन आयोजन से 15 दिवस पूर्व जिला कलेक्टर को।

नौराड़

– महिलाओं की आय वृद्धि एवं रोजगार की योजना

– स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित

– अनुदान की राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

– महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं रूपये 250 मासिक वृति

– संस्था द्वारा प्रशिक्षण उपरान्त महिलाओं को रोजगार से जोड़ना।

स्वयं सहायता समूह

– एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से ली गई 15–20 महिलाओं का समूह।

– समूह की महिलाओं द्वारा अपनी आपसी बचतों के माध्यम से सहयोग एवं स्वावलंबन की वृत्तियों का विकास।

– समूहों को राष्ट्रीयकृत बैंक, नाबार्ड एवं राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण के प्रावधान।

बालिका समृद्धि योजना

- शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना।
- योजना समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु।
- गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों में बालिका के जन्म पर (अधिकतम दो बालिकाओं हेतु) माता को 500/– रू. की राशि का प्रावधान।
- राशि बार्लिका के नाम खाता खोलकर जमा।
- बालिका के स्कूल जाना आरम्भ करने पर कक्षा 1–10 तक 300/– रू. से 1000/– रू. तक की वार्षिक छात्रवृत्ति का प्रावधान।

जिला महिला सहायता समिति

- शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब राहत देना।
- 20000 के अनुदान द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना।
- समितियों को दिये अनुदान पर आयकर अधिनियम धारा 80 जी के तहत छूट
- दानदाताओं से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना।
- कोष के माध्यम से उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया एवं पुनर्वास हेतु सहायता।
- पीड़ित महिलाओं को परामर्श सेवाएं।

प्रबोधन एवं निरीक्षण व्यवस्था

अधिकारी / कर्मचारी	कार्यक्षेत्र
शासन सचिव/ निदेशक/ निदेशालय के अन्य अधिकारी	सम्पूर्ण राजस्थान / आवंटित जिले
उप निदेशक ICDS एवं परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण	अधीनस्थ सम्पूर्ण जिला
बाल विकास परियोजना अधिकारी / प्रचेता पर्यवेक्षक	अधीनस्थ सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र कार्यक्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र माह में एक बार सभी केन्द्रों का पर्यवेक्षण आवश्यक
पंचायत समिति सदस्य	सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र
ग्राम पंचायत सदस्य	ग्राम पंचायत क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र

संधारित अभिलेख

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका की उपस्थिति पंजिका, परिवार सर्वेक्षण पंजिका, लाभान्वितों का पंजीकरण उपस्थिति पंजिका, विजिट बुक, रेफरल स्लिप, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच पंजिका, महिला मण्डल तथा शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम संबंधी पंजिका, ग्रोथ चार्ट, शाला पूर्व शिक्षा के चार्टस् एवं पुस्तकें, प्रचार–प्रसार सामग्री, अस्थाई / स्थाई सामग्री पंजिका।